

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 98-अ]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 9 फरवरी 2021 — माघ 20, शक 1942

वित्त विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 9 फरवरी 2021

अधिसूचना

छत्तीसगढ़ मूलभूत सुविधाओं का विकास नियम 2020

क्रमांक 1458 A/226/ब-4/वित्त/चार/2020. — छत्तीसगढ़ मूलभूत सुविधाओं का विकास नियम 2020 के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ -4-5/2020/एक /6 नवा रायपुर दिनांक 04-01-2020 द्वारा दिए गए निर्देश के अनुक्रम में इस विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 783/226/ब-4/वित्त/चार/2020 दिनांक 29 अक्टूबर, 2020 को एतद्द्वारा तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शारदा वर्मा, संयुक्त सचिव.